मुन्तकिली प्रकरण संख्या 22/2021 (RCMS : 2021/ 63) अनवान प्रेम कुमार पुत्र श्री सहीराम जाति गुसांई निवासी गोपालसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. सादुलाराम 2. आत्माराम 3. रामस्वरूप पिसरान देवीलाल अकवाम जाट साकिन चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **4. गुड्डी देवी पुत्री** स्व.देवीलाल पत्नी पृथ्वीराज **5. विनोद देवी** पुत्री स्व.देवीलाल पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी हरदयालपुरा (चक 2 एचडीपी) तहसील व जिला हनुमानगढ **6. सावित्री** पुत्री स्वं देवीलाल पत्नी श्री कृष्ण जाति जाट निवासी ग्राम चाहुवाली (चक 10 एजी) तहसील व जिला हनुमानगढ **7. अनकौनी** पत्नी स्व. सहीराम **8. राकेश कुमार** पुत्र स्व. सहीराम अकवाम गुसांई साकिन गोपालसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **9. कान्तादेवी** पुत्री स्व. सहीराम पत्नी प्रेमकुमार **10. कृष्णा** देवी पुत्री स्व. सहीराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति गुसांई निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **11. विमला देवी** पुत्री स्व. सहीराम पत्नी राजू **12. सिलोचना** पुत्री स्व. सहीराम पत्नी विनोद जाति गुसांई निवासी ब्रह्मसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ **13. राधा** पुत्री स्व. सहीराम पत्नी रामकुमार जाति गुसांई निवासी पण्डितावाली तहसील व जिला हनुमानगढ **14. मोनिका** पुत्री सहीराम पत्नी विनोद जाति गुसांई निवासी चक 2 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित है। शेष अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। उपभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 54/2020 अनवानी देवीलाल वगै. बनाम सहीराम वगै. अन्तर्गत धारा 75 राजस्था भू राजस्व अधिनियम 1956 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसे खारिज किया जावे।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यदि इस मुंतकिल प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 54/2020 अनुवानी देवीलाल वगै. बनाम सहीराम वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:13:10 IST
Reason: SelfAttested